शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा
12(1)(ग)
के अन्तर्गत गैर–सरकारी विद्यालयों में निःशुल्क सीट्स
पर प्रवेश हेतु दिशा–निर्देश
(सत्र 2026–27 से प्रभावी)

अनुक्रमणिका

अध्याय	विवरण	पृष्ठ संख्या
1	पृष्ठभूमि	3
2	आरटीई अधिनियम के अनुसार निःशुल्क सीट्स पर प्रवेश प्रक्रिया	4—12
3	परिशिष्टः—	
	01.आदेश / परिपत्रों का सारांश	13
	02. प्रवेश प्रक्रिया संबंधी उदाहरण	14
	03. समान्यतया पूछे जाने वाले प्रश्न	15
	04. परिशिष्ट— 5 (निवास के संबंध में)	16

अध्याय–1 : पृष्ठभूमि

निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, राज्य में **1 अप्रैल 2010 से** लागू हुआ, जिसकी धारा 12(1)(ग) के अनुसार गैर सरकारी विद्यालयों को अपनी एन्ट्री लेवल कक्षा की 25 प्रतिशत सीट्स पर ''दुर्बलवर्ग'' एवं ''असुविधाग्रस्त समूह'' के बालको को प्रवेश देकर कक्षा 8 तक निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध करवानी होगी। गैर सरकारी विद्यालयों को बालकों की फीस का पुनर्भरण अधिनियम की धारा 12(2) तथा राजस्थान निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2011 के नियम 11 के अनुसार सरकार द्वारा किया जाता है।

राज्य में इस प्रावधान के अन्तर्गत गैर सरकारी विद्यालयों में सत्र 2012–13 से प्रवेश दिये जा रहे है। राज्य सरकार द्वारा नियमानुसार पात्र प्रवेशार्थियों की फीस का पुर्नभरण भी किया जा रहा है।

राज्य में लगभग 40,000 गैर सरकारी विद्यालय संचालित है। इन सभी गैर सरकारी विद्यालयों में निःशुल्क प्रवेश प्रक्रिया को नियमानुसार सम्पन्न करवाना, समय पर पुर्नभरण करवाना एवं समस्त कार्य की मॉनिटरिंग करवाने का कार्य श्रमसाध्य है। इसको दृष्टिगत रखते हुये सत्र 2013–14 से राज्य सरकार ने यह सम्पूर्ण कार्य ऑन लाइन किये जाने का निर्णय लिया।

स्कूल शिक्षा विभाग,राजस्थान सरकार द्वारा NIC के सहयोग से वेब पोर्टल का निर्माण किया तथा सत्र 2013–14 से प्रवेश, भौतिक सत्यापन की मॉनटरिंग व पुनर्भरण की प्रकिया को ऑन लाइन किया गया। समस्त कार्यों को ऑन लाइन करने से अभिभावकों, विद्यालयों व शिक्षा विभाग के कार्यालयों का कार्य भार तो कम हुआ ही साथ ही समस्त व्यवस्थाओं में पारदर्शिता भी स्थापित हुई। वर्ष 2025–26 के दौरान विद्यालयों में प्रवेश, भौतिक सत्यापन व पुनर्भरण में अनुभव की गयी कुछ समस्याओं को ध्यान में रखते हुए शैक्षिक सत्र 2026–27 के लिए आंशिक संशोधित दिशा निर्देश प्रसारित किए जा रहे है।

ये दिशा–निर्देश गैर सरकारी विद्यालयों, माता–पिता एवं अभिभावकों तथा विभागीय अधिकारियों के लिए महत्वपूर्ण होंगे। दिशा निर्देश शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 एवं राज्य नियम, 2011 तथा समय–समय पर जारी अधिसूचनाओं/आदेश/परिपत्रों के आधार पर तैयार किये गये है। यदि इनमें और मूल अधिनियम/नियम/ अधिसूचना/निर्देश/आदेश में कोई विसंगति हो तो मूल अधिनियम/ नियम /अधिसूचना/निर्देश/आदेश ही मान्य होंगे।

अध्याय–2:प्रवेश प्रक्रिया

01. एन्ट्री लेवल कक्षा में प्रवेश –

निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 एवं राज्य नियम 2011 के प्रावधानों की पालना में प्रत्येक निजी विद्यालय को अपने विद्यालय में संचालित एन्ट्री कक्षा (PP3+, PP4+, PP5+) एवं कक्षा–1 में उस कक्षा में प्रविष्ट कुल बालकों की संख्या के 25 प्रतिशत की सीमा तक **"दुर्बल वर्ग"** एवं **"असुविधाग्रस्त समूह"** के बालकों को निःशुल्क प्रवेश देना होगा। इसके लिए उन्हें निर्धारित टाईम फ्रेम के अनुसार कार्य पूर्ण करना होगा। निःशुल्क एवं सःशुल्क सीट्स पर अध्ययनरत बालकों में से जो बालक विद्यालय छोड़ चुके हैं या टी.सी. ले जा चुके हैं उनके नामों को पोर्टल से हटाया जाना अनिवार्य है। निःशुल्क सीट्स पर प्रवेश के समय यह ध्यान रखा जाएगा कि कक्षा–1 में क्रमोन्नत एवं नवीन प्रवेशित बालकों में से निःशुल्क सीट्स पर अध्ययनरत बालकों की संख्या 25 प्रतिशत हो **तथा किसी भी स्थिति में क्रमोन्नत निःशुल्क अध्ययनरत बालक को निष्कासित नहीं किया जा सकेगा।** निःशुल्क व सशुल्क बालकों का अनुपात निम्नानुसार रहेगाः–

कक्षा	सःशुल्क बालकों की संख्या	निःशुल्क बालकों की संख्या
PP3+	समस्त नवप्रवेशित सशुल्क बालक	समस्त नवप्रवेशित सशुल्क बालक / 3
PP4+	**PP3+** से क्रमोन्नत + नवप्रवेशित बालक	(पीपी3 से क्रमोन्नत सशुल्क बालक + नवप्रवेशित सशुल्क बालक) / 3–पीपी3 से क्रमोन्नत निःशुल्क बालक
PP5+	**PP4+** से क्रमोन्नत + नवप्रवेशित बालक	(पीपी4 से क्रमोन्नत सशुल्क बालक + नवप्रवेशित सशुल्क बालक) / 3–पीपी4 से क्रमोन्नत निःशुल्क बालक
First	**PP5+** से क्रमोन्नत + नवप्रवेशित बालक	(पीपी5 से क्रमोन्नत सशुल्क बालक + नवप्रवेशित सशुल्क बालक) / 3–पीपी5 से क्रमोन्नत निःशुल्क बालक

नोट :– सशुल्क बालकों की गणना गत तीन सत्रों के नामांकन के आधार पर की जायेगी।

02. प्रवेश के लिए पात्रता –

आरटीई अधिनियम के अन्तर्गत निःशुल्क सीट्स पर प्रवेश के लिए बालकों की पात्रता की शर्ते निम्न प्रकार होंगी :–

2.1 **बालक गैर सरकारी विद्यालय के आस–पास के परिक्षेत्र (कैचमेंट एरिया) में निवास करने वाला होना चाहिएः**–राज्य के आरटीई नियमों के अनुसार विद्यालय का परिक्षेत्र (कैचमेंट एरिया) शहरी क्षेत्रों में संबंधित स्थानीय निकाय अर्थात् नगर निगम / नगर परिषद / नगर पालिका जैसी भी स्थिति हो, तथा ग्रामीण क्षेत्रों में संबंधित ग्राम पंचायत निर्धारित किया गया है। प्रवेश के समय शहरी क्षेत्रों में विद्यालय से संबंधित वार्ड तथा ग्रामीण क्षेत्रों में विद्यालय से संबंधित गांव में निवास करने वाले बालकों को प्राथमिकता दी जायेगी। इससे स्पष्ट है कि विद्यालय जिस वार्ड / गांव में स्थित है, वहॉ से वांछित संख्या में बालक उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में ही शेष शहरी निकाय / ग्राम पंचायत के बालकों को प्रवेश दिया जायेगा। **किसी भी स्थिति में विद्यालय से सम्बन्धित शहरी निकाय / ग्राम पंचायत से बाहर निवास करने वाले बालक उस विद्यालय में प्रवेश के पात्र नहीं होंगे।**

सत्र 2026–27 में आरटीई प्रवेश 41 जिलों के आधार पर किये जायेगें।

2.2 **बालक ''दुर्बल वर्ग'' या ''असुविधाग्रस्त समूह'' से संबंधित होना चाहिए :–**

2.2.1. **दुर्बल वर्ग**– राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक **No-21(19)Edu.-1/E.E/2009** जयपुर, दिनांक 18 मई 2020 के अनुसार ''दुर्बल वर्ग'' में निम्नलिखित सम्मिलित हैं–

(a) **ऐसे बालक जिनके अभिभावकों की वार्षिक आय 2.50 लाख रूपये या उससे कम है।**

2.2.2. **असुविधाग्रस्त समूह**–राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक **No-21(19)Edu.-1/E.E/2009** जयपुर, दिनांक 18 मई, 2020 के अनुसार ''असुविधाग्रस्त समूह'' में निम्नलिखित सम्मिलित हैं–

(a) अनुसूचित जाति के बालक

(b) अनुसूचित जन जाति के बालक

(c) अनाथ बालक

(d) एचआईवी अथवा केंसर से प्रभावित बालक अथवा एचआईवी अथवा केंसर से प्रभावित माता–पिता / संरक्षक के बालक

(e) युद्ध विधवा के बालक

(f) निःशक्त बालक जो निःशक्त व्यक्ति ("Person with benchmark disability" की परिभाषा जो केन्द्र सरकार के Right of person with disability Act, 2016 की धारा 2(r) में वर्णित है) सम्मिलित हो।

(g) पिछड़ा वर्ग या विशेष पिछड़ा वर्ग के ऐसे बालक जिनके अभिभावकों की वार्षिक आय 2.50 लाख रूपये या उससे अधिक नहीं हो।

(h) ऐसे बालक जिनके अभिभावक का नाम राज्य सरकार के ग्रामीण विकास विभाग/शहरी विकास विभाग द्वारा तैयार की गई, बी.पी.एल सूची (केन्द्रीय सूची और राज्य सूची) में सम्मिलित है।

2.3. प्रवेश के लिए कक्षा अनुरूप आयु संबंधी पात्रताः– एन्ट्री क्लास में प्रवेश हेतु बालक की आयु निम्नानुसार होगीः–

क.सं.	कक्षा का नाम	प्रवेश हेतु आयु
1	Pre Primary 3+ (PP.3+)	3 वर्ष या उससे अधिक परन्तु 4 वर्ष तक
2	Pre Primary 4+ (PP.4+)	4 वर्ष या उससे अधिक परन्तु 5 वर्ष तक
3	Pre Primary 5+ (PP.5+)	5 वर्ष या उससे अधिक परन्तु 6 वर्ष तक
4	First	6 वर्ष या उससे अधिक परन्तु 7 वर्ष तक

नोट–

01. कक्षा पीपी3+ में प्रवेश हेतु बालक की जन्म तिथि 01 अप्रेल 2022 से 31 मार्च 2023 के मध्य होनी चाहिए(01 अप्रेल एवं 31 मार्च दोनों तिथियों को सम्मिलित करते हुए।)

02. कक्षा पीपी4+ में प्रवेश हेतु बालक की जन्म तिथि 01 अप्रेल 2021 से 31 मार्च 2022 के मध्य होनी चाहिए (01 अप्रेल एवं 31 मार्च दोनों तिथियों को सम्मिलित करते हुए।)

03. कक्षा पीपी5+ में प्रवेश हेतु बालक की जन्म तिथि 01 अप्रेल 2020 से 31 मार्च 2021 के मध्य होनी चाहिए (01 अप्रेल एवं 31 मार्च दोनों तिथियों को सम्मिलित करते हुए।)

04. कक्षा प्रथम में प्रवेश हेतु बालक की जन्म तिथि 01 अप्रेल 2019 से 31 मार्च 2020 के मध्य होनी चाहिए (01 अप्रेल एवं 31 मार्च दोनों तिथियों को सम्मिलित करते हुए।)

2.4. निःशुल्क प्रवेश हेतु निवास प्रमाण पत्रः–बालक/अभिभावक के निवास के सम्बन्ध में सम्बन्धित तहसीलदार द्वारा जारी मूल निवास प्रमाण पत्र मान्य होगा। निवास के सम्बन्ध में बालक/अभिभावक के अन्य वैधानिक दस्तावेजों के रूप में राशन कार्ड/आधार कार्ड/मतदाता पहचान पत्र/ड्राइविंग लाइसेंस/बिजली का बिल **(6 माह से पुराना नहीं हो)**/पानी का बिल **(6 माह से पुराना नहीं हो)** भी मान्य होंगे। निवास के प्रमाण के रूप में इनमें से जो भी दस्तावेज दिया जा रहा है उसमें ग्राम/वार्ड का स्पष्ट उल्लेख होना आवश्यक है। ग्राम/वार्ड का स्पष्ट उल्लेख नहीं होने अथवा परिसीमन के कारण वार्ड परिवर्तन होने की स्थिति में संबंधित सरपंच/वार्ड पंच/पार्षद/बीएलओ तथा किसी राजपत्रित अधिकारी से प्रमाणित अतिरिक्त दस्तावेज भी देना अनिवार्य होगा। (परिशिष्ट–5 के अनुरूप निर्धारित प्रपत्र में)

2.5 निःशुल्क प्रवेश हेतु ''दुर्बल वर्ग'' एवं ''असुविधाग्रस्त समूह'' से संबंधित प्रमाण पत्रः–"दुर्बल वर्ग "एवं" असुविधाग्रस्त समूह" से सम्बन्धित प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी होने चाहिए। एचआईवी या केंसर से पीड़ित बालक/अभिभावक के सम्बन्ध में किसी रजिस्टर्ड डाइग्नोस्टिक केन्द्र द्वारा दी गयी रिपोर्ट मान्य होगी।

2.6 निःशुल्क प्रवेश हेतु आयु के सबूत के लिये दस्तावेजः– प्रवेश के लिये आयु के सबूत के लिये जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 के अधीन बनाये गये नियमों के अधीन जारी किया गया जन्म प्रमाण पत्र मान्य होगा। यह प्रमाण पत्र उपलब्ध न होने की स्थिति में:–

(क) अस्पताल/सहायक नर्स और दाई (ए.एन.एम) रजिस्टर/अभिलेख

(ख) आँगनबाड़ी अभिलेख और

(ग) आधार कार्ड

उक्त में से कोई भी एक दस्तावेज निःशुल्क प्रवेश हेतु आयु के सबूत के लिये मान्य होगा तथा दस्तावेज पर अंकित बालक की जन्म तिथि को ही अंतिम माना जाएगा **परन्तु प्रवेश के उपरान्त भौतिक सत्यापन से पूर्व बालक का जन्म प्रमाण–पत्र बनवाकर विद्यालय में उपलब्ध करवाया जाना आवश्यक होगा।** प्रवेश उपरान्त जन्म तिथि में किसी भी प्रकार का संशोधन स्वीकार नहीं किया जाएगा।

03. प्रवेश हेतु टाईम फ्रेमः–

राज्य के सभी गैर सरकारी विद्यालयों में आरटीई अधिनियम के अन्तर्गत निःशुल्क सीट्स पर प्रवेश से सम्बन्धित विभिन्न गतिविधियों के सम्पन्न होने की एकरूपता की दृष्टि से निम्नानुसार टाईम फ्रेम निर्धारित किया जाता है :–

क.सं.	विवरण / गतिविधि	टाइमफ्रेम	दायित्व निर्धारण
1	विज्ञापन जारी करना	दिशा–निर्देश जारी होने के तत्काल बाद	निदेशालय व सम्बन्धित निजी विद्यालय
2	संबंधित विद्यालय द्वारा विद्यालय प्रोफाइल अपडेट करना	17 फरवरी 2026 तक	संबंधित विद्यालय
3	अभिभावकों द्वारा ऑनलाइन आवेदन करना व दस्तावेज अपलोड करना।	20 फरवरी 2026 से 04 मार्च 2026 तक	संबंधित अभिभावक
4	ऑनलाईन लॉटरी द्वारा प्रवेश हेतु बालको का वरीयता क्रम निर्धारण करना	06 मार्च 2026	राज्य स्तर पर एनआईसी द्वारा
5	बालक / अभिभावक द्वारा विद्यालय चयन क्रम में परिवर्तन करना (choice filling)	06 मार्च 2026 से 11 मार्च 2026 तक	अभिभावक द्वारा
6	प्रथम चरण आवंटन (गैर राजकीय विद्यालय)	13 मार्च 2026	राज्य स्तर पर एनआईसी द्वारा
7	दस्तावेज सत्यापन	13 मार्च 2026 से 21 मार्च 2026 तक	गैर राजकीय विद्यालय द्वारा (आवंटित बालकों के)
8	प्रथम चरण आवंटन से संबंधित परिवदेनाओं का निस्तारण	13 मार्च 2026 से 25 मार्च 2026 तक	सीबीईओ / जिशिअ / संयुक्त निदेशक
9	द्वितीय चरण आवंटन (गैर राजकीय विद्यालय)	27 मार्च 2026	राज्य स्तर पर एनआईसी द्वारा
10	दस्तावेज सत्यापन	27 मार्च 2026 से 4 अप्रेल 2026 तक	गैर राजकीय विद्यालय द्वारा (आवंटित बालकों के)
11	द्वितीय चरण आवंटन से संबंधित परिवदेनाओं का निस्तारण	27 मार्च 2026 से 10 अप्रेल 2026 तक	सीबीईओ / जिशिअ / संयुक्त निदेशक
12	शेष रिक्त सीट्स पर आवंटन (तृतीय चरण आवश्यक होने पर)	13 अप्रेल 2026	राज्य स्तर पर एनआईसी द्वारा
13.	दस्तावेज सत्यापन	13 अप्रेल 2026 से 17 अप्रेल 2026 तक	गैर राजकीय विद्यालय द्वारा (आवंटित बालकों के)
14.	तृतीय चरण आवंटन से संबंधित परिवदेनाओं का निस्तारण	13 अप्रेल 2026 से 21 अप्रेल 2026 तक	सीबीईओ / जिशिअ / संयुक्त निदेशक

नोटः

3.1. टाईम फ्रेम के क्र.सं. 1 पर अंकित गतिविधि **''विज्ञापन जारी करना''** के लिए विभाग द्वारा दो राज्य स्तरीय समाचार पत्रों में विज्ञप्ति प्रकाशित की जाती है साथ ही संबंधित विद्यालय समाचार पत्रों / स्वयं की वेब साईट / स्थानीय स्तर पर प्रचार–प्रसार हेतु नोटिस बोर्ड, सार्वजनिक स्थानों पर विज्ञापन, पेम्पलेट आदि का उपयोग कर व्यापक प्रचार–प्रसार सुनिश्चित करेंगे, जिससे विद्यालय में प्रवेश सम्बन्धी जानकारी आम नागरिकों तक पहुँच सके।

3.2. संबंधित विद्यालय / कार्यालय / अभिभावक को उपरोक्त टाईम फ्रेम में गतिविधि के सामने अंकित तिथि के अनुसार कार्य अनिवार्य रूप से सम्पन्न करना होगा।

3.3. विद्यालय प्रोफाईल को संबंधित **CBEO** द्वारा अपने लॉगिन में देखा जा सकेगा तथा टाईम फ्रेम द्वारा निर्धारित अन्तिम तिथि से पूर्व अपने परिक्षेत्र के समस्त गैर सरकारी विद्यालयों द्वारा प्रोफाईल भरवाया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। अन्तिम तिथि को समस्त विद्यालयों का विद्यालय प्रोफाईल, पोर्टल द्वारा लॉक कर दिया जाएगा।

3.4. ऐसे गैर सरकारी विद्यालय जो वर्तमान में संचालित नहीं है। उनकी सूचना संबंधित **CBEO** द्वारा में प्रबन्ध टेब के माध्यम से स्कूल की स्थिति (close/open) भरा जाये।

3.5. टाईम फ्रेम में अंकित तिथियों में विभाग द्वारा परिवर्तन किया जा सकेगा। जिसकी सूचना पीएसपी पोर्टल पर उपलब्ध होगी।

आवेदन की प्रक्रियाः– शैक्षिक सत्र 2026–27 हेतु पीएसपी पोर्टल पर पंजीकृत गैर सरकारी विद्यालयों में पूर्व प्राथमिक तथा कक्षा–1 में आरटीई के तहत प्रवेश हेतु ऑनलाईन आवेदन की प्रक्रिया निम्नानुसार रहेगी

4. अभिभावक द्वारा किये जाने वाले कार्य–

4.1. कोई भी अभिभावक अपने Catchment Area के गैर सरकारी विद्यालयों में निःशुल्क सीट्स पर प्रवेश हेतु ऑनलाइन आवेदन कर सकता है लेकिन यदि कोई विद्यालय केवल लड़कों अथवा केवल लड़कियों के लिए ही संचालित है उनमें क्रमशः केवल लड़कों अथवा केवल लड़कियों का प्रवेश ही संभव है।

4.2. अभिभावक प्राइवेट स्कूल वेब पोर्टल www.rajpsp.nic.in को एक्सेस कर आवेदन कर सकते है। अभिभावकों की सुविधा के लिए ऑनलाइन आवेदन की सुविधा मोबाइल एप के माध्यम से भी दी गई है। अभिभावक गूगल प्ले स्टोर से **''राजस्थान प्राइवेट स्कूल ऐप''** डाउनलोड कर ऐप के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते है।

4.3. सर्वप्रथम अभिभावक को प्राइवेट स्कूल वेब पोर्टल www.rajpsp.nic.in को एक्सेस कर बालक एवं स्वयं के सम्बन्ध में पात्रता सम्बन्धी आवश्यक सूचनाऐं प्रविष्ट करनी होंगी। आवेदन में बालक के आधार नंबर अथवा आधार पंजीयन नंबर (16 अंको का नंबर) तथा मोबाइल नम्बर प्रविष्ट करना आवश्यक है। **ध्यान रहें वे बालक जो आरटीई के तहत किसी विद्यालय में प्रवेश ले चुके है, वे पुनः आवेदन नहीं कर सकेंगे।**

4.5. सूचना प्रविष्टि के बाद अभिभावक को एप्लीकेशन आईडी व पासवर्ड प्राप्त होगें। इस एप्लीकेशन आईडी पासवर्ड का उपयोग कर अभिभावक को लॉगिन करना है तथा बालक व स्वयं के सम्बन्ध में विस्तृत सूचनाओं की एन्ट्री एवं संबंधित दस्तावेज अपलोड करने है।

4.6. आवेदन के समय ही समस्त वांछित दस्तावेज अपलोड किये जायेगे। इस हेतु आवेदन फार्म के साथ फोटो, बालक का आयु प्रमाण–पत्र, अभिभावक का निवास स्थान संबंधी प्रमाण पत्र, अभिभावक का जाति संबंधी प्रमाण–पत्र, बालक का आधार कार्ड अथवा आधार पंजीयन रसीद, बालक/बालक के माता–पिता या संरक्षक के एचआईवी प्रभावित होने की रिपोर्ट, बालक/बालक के माता–पिता या संरक्षक के केंसर ग्रस्त होने की रिपोर्ट, बालक की माता के युद्ध विधवा होने का प्रमाण–पत्र, अभिभावक की वार्षिक आय का प्रमाण पत्र, बी.पी.एल. प्रमाण–पत्र, बालक के अनाथ होने संबंधी घोषणा, बालक का निःशक्तजन संबंधित प्रमाण–पत्र के दस्तावेज नियमानुसार अपलोड करे। दस्तावेजों की जानकारी हेतु बिंदु संख्या 07 का अवलोकन करें। साथ ही ध्यान रहे कि अपलोड दस्तावेज स्पष्ट एवं पूर्ण होने चाहिए।

4.7. आवेदन पत्रों के साथ संलग्न समस्त दस्तावेज लॉटरी दिनांक से पूर्व की तिथियों में जारी होना आवश्यक है। लॉटरी दिनांक या उसके बाद की तिथियों में जारी दस्तावेज मान्य नहीं। **आवेदन की अन्तिम तिथि के पश्चात दस्तावेजों में कोई संशोधन नहीं किया जा सकेगा।**

4.8. अभिभावक एक बार ही ऑनलाइन सूचनाऐं प्रविष्ट कर अपने परिक्षेत्र (Catchment Area) के **अधिकतम 05** इच्छित विद्यालयों का विकल्प क्रमानुसार (सर्वप्रथम उस विद्यालय का चयन करें जिसमें वह प्रवेश का सर्वाधिक इच्छुक है, इसी प्रकार पांच विद्यालयों का चयन करना है।) भर सकता है। इन विद्यालयों के गत सत्रों के आरटीई व नॉन आरटीई प्रवेश की स्थिति तथा वर्तमान सत्र में सम्भावित आरटीई सीट्स की संख्या की जानकारी संबंधित विद्यालय पर क्लिक कर प्राप्त की जा सकेगी।

4.9. आवेदनकर्ता द्वारा आवेदन क्रमांक के माध्यम से उनके आवेदन फार्म की ट्रेकिंग स्टेट्स की जानकारी प्राप्त की जा सकेगी। इसमें विद्यालय द्वारा आवेदन क्रमांक पर की गई कार्यवाही, दस्तावेंजों की जांच की स्थिति विद्यालय में आरटीई बालक के रूप में प्रवेश की स्थिति व अन्य जानकारी उपलब्ध होंगी। अतः अभिभावक आवेदन करने के बाद समय समय पर आवेदन क्रमांक से लॉगिन कर उनके आवेदित फॉर्म की स्थिति जांच करें। **(नोटः–छात्र अपने आवेदन क्रमांक पर समय–समय पर अपडेट सूचना से सही जानकारी लेते रहे। विद्यालय द्वारा इस संबंध में आवेदन कर्ता से संपर्क स्थापित कर उन्हें इस बाबत सूचना देना अनिवार्य नहीं है।)**

4.10. टाईम फ्रेम अनुसार निर्धारित आवेदन की अंतिम तिथि तक अभ्यर्थी भरी गई सूचना में रजिस्टर्ड मोबाईल नं0 पर ओ.टी.पी. के आधार पर परिवर्तन कर सकते है साथ ही इसी अवधि में, यदि गलत दस्तावेज अपलोड कर दिया गया है तो सही दस्तावेज अपलोड कर सकतें है। आवेदन की अंतिम तिथि को सभी आवेदनों को पोर्टल द्वारा स्वतः ही फाईनल लॉक कर दिया जायेगा। इसके पश्चात आवेदन में कोई संशोधन नहीं किया जा सकेगा।

4.11. ऑनलाइन आवेदन के समय बालक/माता–पिता के नाम की वर्तनी, प्रवेश हेतु कक्षा, जन्म तिथि व अन्य सूचनाऐं सावधानीपूर्वक प्रविष्ट करें तथा समस्त दस्तावेज पूर्णतः सही एवं स्पष्ट अपलोड करें। प्रविष्टि में किसी भी प्रकार की त्रुटि प्रवेश प्रकिया में बाधक बन सकती है जिसका दायित्व संबंधित अभिभावक का होगा।

4.12. ऑनलाइन आवेदन करने के बाद पोर्टल पर भरी गयी सूचनाओं को लॉक कर प्रिंट लिया जा सकता है।

4.13. **अभिभावक द्वारा गलत जानकारी/फर्जी या त्रुटी पूर्ण दस्तावेज प्रस्तुत कर प्रवेश प्रमाणित पाये जाने पर अभिभावक को विद्यालय द्वारा ली जाने वाली प्रति बालक वास्तविक फीस की दो गुणा राशि लौटानी होगी। साथ ही विद्यालय अभिभावक के विरूद्व कानूनी कार्यवाही हेतु स्वतंत्र होगा।**

4.14. लॉटरी प्रक्रिया के पश्चात अभिभावक द्वारा आवेदन के समय भरे गये विद्यालय चयन क्रम में परिवर्तन किया जा सकता है। यदि अभिभावक द्वारा अन्तिम तिथि तक कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है, तो आवेदन के समय भरे गये चयन क्रम को ही अन्तिम मान लिया जायेगा।

5. केन्द्रीकृत लॉटरी प्रक्रिया :–

5.1. ऑनलाईन प्राप्त आवेदनों का प्रवेश हेतु वरीयताक्रम निर्धारण सॉफ्टवेयर द्वारा रेण्डम विधि से निर्धारित तिथि को राज्य स्तर पर एनआईसी द्वारा किया जायेगा। वरीयता क्रम इस प्रकार होगाः– 01. विद्यालय का वार्ड/ग्राम 02. समस्त शहरी निकाय/ग्राम पंचायत

5.2. **लॉटरी वरीयता में अनाथ बालक/दिव्यांग बालक (जो केन्द्र सरकार के अधिनियम 2016 में वर्णित है) को प्राथमिकता दी जायेगी। परिशिष्ट–2 का अध्ययन करें।**

5.3. यहां यह स्पष्ट किया जाता है कि उक्त वरीयता सूची में विद्यालय में निःशुल्क सीट्स पर ऑन लाईन आवेदन करने वाले सभी बालकों के नाम सम्मिलित किये गये हैं। अतः यह प्रवेश हेतु केवल वरीयता सूची है, इसे प्रवेश के लिए चयन सूची नहीं माना जावे।

5.4. इस सूची का उपयोग पोर्टल द्वारा शेष 75 प्रतिशत सीट्स पर प्रवेशित सःशुल्क बालकों के साथ सम्मिलित कर निम्नानुसार निर्धारित रोस्टर प्रक्रिया में किया जाएगा। विद्यालय इस सूची को अपनी वेबसाईट/नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित करेगा एवं सभी अभिभावकों को इसकी सूचना प्रेषित की जाएगी।

5.5. इस प्रकार 75 प्रतिशत प्रवेशित बालकों की विद्यालय द्वारा प्रवेश दिनांक को वेब पोर्टल पर एन्ट्री की जाएगी जिसके आधार पर पोर्टल द्वारा निर्धारित प्रक्रिया अपनाते हुए आरटीई सीट्स पर विद्यार्थी का चयन किया जा सकेगा।

6. विद्यालय आवंटन प्रक्रिया :–

6.1. प्रथम चरण के आवंटन में गैर सरकारी विद्यालयों में निःशुल्क प्रवेश हेतु आवंटन निम्नानुसार किया जायेगा।

गैर सरकारी विद्यालय में कक्षा पीपी3+ शैक्षिक सत्र 2023–24, 2024–25, 2025–26 में प्रवेशित सशुल्क बालक	पीपी3+ में प्रवेशित सशुल्क बालकों का औसत	शैक्षिक सत्र 2026–27 में निःशुल्क प्रवेश योग्य बालकों की संख्या :– पीपी3+ में प्रवेशित सशुल्क बालकों का औसत अथवा वर्तमान सत्र का सशुल्क नामांकन जो भी अधिक हो/3
गैर सरकारी विद्यालय में कक्षा पीपी4+ में शैक्षिक सत्र 2023–24, 2024–25, 2025–26 में प्रवेशित सशुल्क बालक	कक्षा पीपी4+ में प्रवेशित सशुल्क बालकों का औसत	शैक्षिक सत्र 2026–27 में निःशुल्क प्रवेश योग्य बालकों की संख्या :– कक्षा पीपी4+ में प्रवेशित सशुल्क बालकों का औसत अथवा वर्तमान सत्र का सशुल्क नामांकन जो भी अधिक हो/3 – कक्षा पीपी3+ क्रमोन्नत निःशुल्क बालक
गैर सरकारी विद्यालय में कक्षा पीपी5+ में शैक्षिक सत्र 2023–24, 2024–25, 2025–26 में प्रवेशित सशुल्क बालक	कक्षा पीपी5+ में प्रवेशित सशुल्क बालकों का औसत	शैक्षिक सत्र 2026–27 में निःशुल्क प्रवेश योग्य बालकों की संख्या :– कक्षा पीपी5+ में प्रवेशित सशुल्क बालकों का औसत अथवा वर्तमान सत्र का सशुल्क नामांकन जो भी अधिक हो/3 – कक्षा पीपी4+ क्रमोन्नत निःशुल्क बालक
गैर सरकारी विद्यालय में कक्षा प्रथम में शैक्षिक सत्र 2023–24, 2024–25, 2025–26 में प्रवेशित सशुल्क बालक	कक्षा प्रथम में प्रवेशित सशुल्क बालकों का औसत	शैक्षिक सत्र 2026–27 में निःशुल्क प्रवेश योग्य बालकों की संख्या :– कक्षा प्रथम में प्रवेशित सशुल्क बालकों का औसत अथवा वर्तमान सत्र का सशुल्क नामांकन जो भी अधिक हो/3 – कक्षा पीपी5+ क्रमोन्नत निःशुल्क बालक

6.2. प्रथम चरण के आवंटन में बालकों को आवंटित विद्यालय अभिभावक के लॉगिन पर अलॉटेड प्रदर्शित होगा। आवंटित विद्यालय द्वारा बालकों के दस्तावेजों का सत्यापन किया जायेगा।

6.3. सत्यापित बालकों के प्रवेश स्वतः ही विद्यालय में हो जायेगे तथा बालक/अभिभावक एवं विद्यालय के लॉगिन पर प्रवेशित/एडमिटेड प्रदर्शित होगा।

6.4. विद्यालय द्वारा रिजेक्ट किये गये दस्तावेज क्रमश सीबीईओं/जिशिअ/संयुक्त निदेशक के लॉगिन पर प्रदर्शित होगें।

6.5. यदि विद्यालय द्वारा दस्तावेजों का सत्यापन नहीं किया जाता है। तो अन्तिम तिथि को वे बालक प्रवेशित प्रदर्शित होगें।

6.6. कोई भी अभिभावक जो दस्तावेज सत्यापन से असंतुष्ट है। अपनी परिवेदना ऑनलाईन ही सीबीईओं प्रेषित कर सकता है। नोट :— परिवेदना निस्तारण आवेदन के समय उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर किया जायेगा। अभिभावक द्वारा नवीन दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये जा सकते है।

6.7. सीबीईओं द्वारा पॉच दिवस में प्राप्त परिवेदनाओं का निस्तारण किया जायेगा। बालक के दस्तावेजों की जांच कर उचित पाये जाने पर दस्तावेज सत्यापित किये जा सकते है।

6.8. परिवेदना सीबीईओं द्वारा निस्तारण योग्य नहीं पाये जाने निरस्त/जिशिअ को अग्रेषित की जायेगी।

6.9. जिशिअ स्तर पर गठित कमेटी द्वारा परिवेदना का निस्तारण किया जायेगा। गैर सरकारी विद्यालय द्वारा जिशिअ के आदेशों की अवहेलना पर संबंधित गैर सरकारी विद्यालय पर जिशिअ द्वारा शास्ति लगाई जा सकती है। जो विद्यालय द्वारा ली जाने वाली कुल वार्षिक फीस का 05 से 25 प्रतिशत हो सकेगी। पुनः अवहेलना करने पर प्रकरण संयुक्त निदेशक को अग्रेषित किया जायेगा।

6.10. संयुक्त निदेशक स्तर पर गठित कमेटी द्वारा परिवदेना की जांच कर प्रमाणित पाये जाने पर राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम 1989 नियम 1993 संशोधित नियम 2011 के अनुसार कार्यवाही कर प्रस्ताव निदेशालय को प्रेषित कराई जायेगें।

6.11. द्वितीय चरण के आंवटन में बालक द्वारा आवेदन/रिपोर्टिंग के समय किये गये विद्यालय चयन क्रम एवं विद्यालय में सशुल्क बालकों की प्रविष्टि के आधार प्रथम चयनित विद्यालय में तथा प्रथम चयनित विद्यालय में सीट्स उपलब्ध नहीं होने पर द्वितीय विद्यालय में उपलब्ध सीट्स पर प्रवेश किया जायेगा।

6.12. अन्तिम चरण के आंवटन में बालक द्वारा आवेदन/रिपोर्टिंग के समय किये गये विद्यालय चयन क्रम एवं विद्यालय में सशुल्क बालकों की प्रविष्टि के आधार पर बालक द्वारा चयनित पॉचों विद्यालयों में से जिस विद्यालय में सीट्स उपलब्ध हो उसी विद्यालय में प्रवेश किया जायेगा।

6.13. विद्यालय में चयन होने के पश्चात् बालक द्वारा हस्ताक्षरित आवेदन पत्र व अन्य सभी दस्तावेजों की हार्ड कॉपी विद्यालय में अविलम्ब जमा करवाया जाना अनिवार्य होगा। इन्ही आवेदन पत्र एवं दस्तावेजों को भौतिक सत्यापन के समय जांच दल को प्रस्तुत किया जा सकेगा।

6.14. प्रथम चरण आवंटन में जो बालकों के दस्तावेज सत्यापन के दौरान रिजेक्ट किये जा चुके है एवं गैर सरकारी विद्यालयों में सशुल्क बालकों के अनुपात में निःशुल्क बालकों का प्रवेश 25 प्रतिशत से कम है। द्वितीय चरण के आवंटन में नवीन बालकों को तात्कालिक वरियता क्रम अनुसार विद्यालय आवंटित किये जायेगें। शेष समस्त प्रक्रिया प्रथम चरण अनुसार रहेगी।

6.15. उक्त दोनों चरणों के बाद आवश्यक होने पर ही तृतीय चरण में विद्यालय आवंटन किये जायेगें।

7. गैर सरकारी विद्यालयों द्वारा किये जाने वाले कार्य–

7.1. गैर सरकारी विद्यालय द्वारा शैक्षिक सत्र 2026–27 में आरटीई के तहत प्रवेश हेतु आवेदन प्रक्रिया शुरू होने से पूर्व निर्धारित अवधि में अपने स्कूल डेटा प्रोफाइल को अपडेट किया जाएगा। जिसमें उनके विद्यालय का स्तर, विद्यालय की एन्ट्री कक्षा, विद्यालय का नाम, विद्यालय का वार्ड/ग्राम/ग्राम पंचायत/ब्लॉक/जिला एवं अन्य समस्त सूचनाओं, वार्ड परिसीमन, रियायती दर पर भूमि आंवटन सूचना, मान्यता संबंधी सूचना तथा अन्य सूचनाएं अपडेट की जाएगी। सभी सूचनाएं 41 जिलों के अनुसार ही भरी जायेगी। इस हेतु विद्यालय लॉगिन में कुछ सूचनाएं अपडेट किये जाने की व्यवस्था होगी तथा शेष सूचनाएं संबंधित जिशिअ कार्यालय के माध्यम से अपडेट करवाई जा सकेगी। <u>जिन विद्यालयों की सूचना सही भरी हुई है, उन्हें भी स्कूल डेटा प्रोफाइल को फाईनल लॉक करना होगा। आवेदन तिथि से पूर्व पोर्टल द्वारा सभी विद्यालयों का डाटा फाईनल लॉक कर दिया जायेगा। विद्यालय द्वारा निर्धारित समय पर सूचना अपडेट नहीं करने पर संपूर्ण दायित्व विद्यालय का होगा। इस कार्य की सतत मोनेटरिंग सीबीईओं एवं जिशिअ द्वारा की जायेगी।</u>

7.2. प्रथम चरण के आवंटन में बिन्दु संख्या 06 के अनुसार बालकों को विद्यालय आवंटन किया जायेगा। आवंटित गैर सरकारी विद्यालय द्वारा बालकों के दस्तावेजों का सत्यापन किया जायेगा। गैर सरकारी विद्यालयों द्वारा निर्धारित टाईम फ्रेम के अनुसार ऑनलाईन आवेदन पत्रों के साथ संलग्न दस्तावेजों की सावधानीपूर्वक जांच की जायेगी। दस्तावेजों की वैधता के संबंध में स्थिति उपरोक्तानुसार स्पष्ट की जा चुकी है। विद्यालय आवेदन पत्रों के साथ संलग्न दस्तावेजों की चैक लिस्ट निम्नप्रकार है–

7.2.1. ''दुर्बलवर्ग'' के बालकों के प्रवेश हेतु आवश्यक दस्तावेजः–

a. अभिभावक की वार्षिक आय 2.50 लाख रूपये तक होने का प्रमाण पत्र। (राजस्व विभाग द्वारा निर्धारित प्रारूप में ही होना चाहिए) आय प्रमाण पत्र में अभिभावक के पैन का उल्लेख अनिवार्य है। (पैन कार्ड उपलब्ध होने पर)

b. बालक/अभिभावक का निवास सम्बन्धी प्रमाण पत्र।(बिन्दु संख्या 2.4 में उल्लेखित कोई भी दस्तावेज)

c. बालक की आयु सम्बन्धी दस्तावेज।

7.2.2. ''असुविधाग्रस्त समूह'' के बालकों के प्रवेश हेतु आवश्यक दस्तावेजः–

a. बालक/अभिभावक का अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र अथवा बालक/अभिभावक का अनुसूचित जन जाति प्रमाण पत्र अथवा अनाथ आश्रम द्वारा बालक के अनाथ होने की घोषणा अथवा एचआईवी/कॅंसर से प्रभावित होने की रजिस्टर्ड डाइग्नोस्टिक केन्द्र की रिपोर्ट अथवा युद्ध विधवा के सम्बन्ध में जारी प्रमाण पत्र अथवा विशेष आवश्यकता वाले बालकों के लिए सक्षम स्तर से जारी प्रमाण पत्र अथवा पिछड़ा वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग के अभिभावक की वार्षिक आय 2.50 लाख रूपये तक होने का प्रमाण पत्र (पिछडा वर्ग/विशेष पिछडा वर्ग के जाति का प्रमाण पत्र सहित) अथवा बी. पी.एल.कार्ड (केन्द्रीय सूची या राज्य सूची के आधार पर) आय प्रमाण पत्र में अभिभावक के पैन का उल्लेख अनिवार्य है। (पैन कार्ड उपलब्ध होने पर)

b. बालक/अभिभावक का निवास सम्बन्धी प्रमाण पत्र। (बिन्दु संख्या 2.4 में उल्लेखित कोई भी दस्तावेज)

c. बालक का आयु सम्बन्धी दस्तावेज।

7.3. गत सत्रों के वार्षिक आय के आधार पर प्रवेशित बालकों के वर्तमान सत्र के लिये प्रस्तुत किये गये आय प्रमाण पत्र वर्तमान सत्र में प्रवेश हेतु निर्धारित अन्तिम तिथि तक के मान्य होगें। परन्तु आय की गणना वित्तीय सत्र 2025–26 हेतु की जानी आवश्यक है।

7.4. निवास के प्रमाण का सत्यापन

लॉटरी वरीयता में बालक की वरीयता में ''बालक उस ग्राम/वार्ड का निवासी है। जहां स्कूल स्थित है।'' अंकित होने पर निवास प्रमाण में वार्ड का उल्लेख होना अनिवार्य है।	लॉटरी वरीयता में बालक की वरीयता में ''बालक का निवास एवं स्कूल की ग्राम पंचायत/यू.एल.बी. समान है, परन्तु उसका ग्राम अथवा वार्ड भिन्न है।'' अंकित होने पर निवास प्रमाण में वार्ड का उल्लेख होना अनिवार्य नहीं है।
निवास के प्रमाण में प्रस्तुत किये जाने वाले दस्तावेज में वार्ड उल्लेखित नहीं होने पर परिशिष्ट–5 की जांच करें।	निवास के प्रमाण में प्रस्तुत किये जाने वाले दस्तावेज में वार्ड उल्लेखित नहीं होने पर परिशिष्ट–5 की आवश्यकता नहीं।

नोटः– निःशुल्क प्रवेश हेतु बालक का कैचमेटं एरिया सम्पूर्ण ग्राम पंचायत/यू.एल.बी. है।

7.5. आयु के प्रमाण का सत्यापन :– बालक द्वारा आवेदन पत्र में भरी गई जन्म तिथि एवं प्रस्तुत किये गये दस्तावेजों में जन्म तिथि समान होनी चाहिए।

7.6. जाति प्रमाण पत्र :– जाति के प्रमाण के रूप में बालक/अभिभावक का तहसीलदार द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र ही मान्य होगा। जाति प्रमाण पत्र लॉटरी तिथि से पूर्व जारी होना अनिवार्य है। बाद में प्रस्तुत किये जाने वाले प्रमाण पत्रों के आधार पर बालक पात्र नहीं होगा। उल्लेखनीय है कि जाति प्रमाण पत्र जाति के प्रमाण के रूप में लिया जा रहा है न कि आय के प्रमाण के रूप में अतः ओ.बी. सी./एस.बी.सी. आवेदक द्वारा नवीनतम जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य नहीं है।

7.7. आय प्रमाण पत्र :– शैक्षिक सत्र 2026–27 में प्रवेश हेतु आय के प्रमाण के रूप में प्रस्तुत किये जाने वाले आय प्रमाण पत्र वित्तीय सत्र 2025–26 हेतु जारी होना अनिवार्य है।

7.8. शेष दस्तावेज जो बालक की पात्रता से संबंधित हैः– बिन्दु संख्या 2 के अनुसार होने चाहिए।

7.9. जिन बालकों का चयन किसी भी विद्यालय में निःशुल्क बालक के रूप में हो जाता है। वह बालक अब किसी भी अन्य विद्यालय में प्रवेश हेतु प्रदर्शित नहीं होगा।

7.10. द्वितीय एवं तृतीय चरण में प्रथम चरण के समान ही दस्तावेज सत्यापन का कार्य विद्यालय द्वारा किया जायेगा।

7.11. विद्यालय द्वारा सःशुल्क विधार्थियों की एन्ट्री राज्य सरकार द्वारा जारी टाईमफ्रेम अनुसार की जा सकेगी। **शैक्षिक सत्र 2026–27 में सःशुल्क एवं निःशुल्क सीट्स पर होने वाले सभी नव–प्रवेश पोर्टल के माध्यम से ही किये जाऐगें तथा इन विद्यार्थियों को एसआर नंबर आरटीई पोर्टल द्वारा ऑटो–मेटिक जनरेट किये जायेंगे।**

7.12. सत्यापित बालकों के प्रवेश स्वत ही विद्यालय में हो जायेगे तथा बालक/अभिभावक एवं विद्यालय के लॉगिन पर प्रवेशित/एडमिटेड प्रदर्शित होगा।

7.13. यदि विद्यालय द्वारा दस्तावेजों का सत्यापन नहीं किया जाता है। तो अन्तिम तिथि को वे बालक प्रवेशित प्रदर्शित होगें।

8. सीबीईओ/जिशिअ मु0/संयुक्त निदेशक कार्यालयों द्वारा किये जाने वाले कार्य–

8.1. सीबीईओ/जिशिअ मु0 कार्यालयों में तीन सदस्यीय कमेटी का गठन किया जाएगा। जिसमें जिला शिक्षा अधिकारी, अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी एवं आरटीई प्रभारी/कनिष्ठ सहायक/एमआईएस शामिल होगें। ये कमेटी आरटीई परिवेदनाओं के निस्तारण संबंधित कार्यों का सम्पादन करेगीं।

8.2. विद्यालय प्रोफाईल को संबंधित **CBEO/DEO HQ** द्वारा अपने लॉगिन में देखा जा सकेगा। कुछ सूचनाए विद्यालय स्तर पर तथा कुछ सूचनाए **DEO HQ** कार्यालय स्तर पर अपडेट की जा सकेगी। समस्त **CBEO** द्वारा टाईम फ्रेम में निर्धारित अन्तिम तिथि से पूर्व अपने परिक्षेत्र के समस्त गैर सरकारी विद्यालयों द्वारा प्रोफाईल भरवाया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। अन्तिम तिथि को समस्त विद्यालयों का विद्यालय प्रोफाईल, पोर्टल द्वारा लॉक कर दिया जाएगा।

8.3. कोई भी अभिभावक जो दस्तावेज सत्यापन से असंतुष्ट है। अपनी परिवेदना ऑनलाईन ही सीबीईओं प्रेषित कर सकता है। नोट :– परिवेदना निस्तारण आवेदन के समय उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर किया जायेगा। अभिभावक द्वारा नवीन दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये जा सकते है।

8.4. सीबीईओं द्वारा पॉच दिवस में प्राप्त परिवेदनाओं का निस्तारण किया जायेगा। बालक के दस्तावेजों की जांच कर उचित पाये जाने पर दस्तावेज सत्यापित किये जा सकते है।

8.5. परिवेदना सीबीईओं द्वारा निस्तारण योग्य नहीं पाये जाने निरस्त/जिशिअ को अग्रेषित की जायेगी।

8.6. जिशिअ स्तर पर गठित कमेटी द्वारा परिवेदना का निस्तारण किया जायेगा। गैर सरकारी विद्यालय द्वारा जिशिअ के आदेशों की अवहेलना पर संबंधित गैर सरकारी विद्यालय पर जिशिअ अधिकारी द्वारा शास्ति लगाई जा सकती है। जो विद्यालय द्वारा ली जाने वाली कुल वार्षिक फीस का 05 से 25 प्रतिशत हो सकेगी। पुनः अवहेलना करने पर प्रकरण संयुक्त निदेशक को अग्रेषित किया जायेगा।

8.7. संयुक्त निदेशक स्तर पर शासन द्वारा गठित कमेटी द्वारा परिवदेना की जांच कर प्रमाणित पाये जाने पर राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम 1989 नियम 1993 संशोधित नियम 2011 के अनुसार कार्यवाही कर प्रस्ताव निदेशालय को प्रेषित कराये जायेगें।

8.8. **प्रवेश, सत्यापन व पुनर्भरण कार्य की मॉनिटरिंगः–**गैर सरकारी विद्यालयों में निःशुल्क सीट्स पर प्रवेश, सत्यापन व पुनर्भरण के कार्य की सतत मॉनिटरिंग सीबीईओं तथा संबंधित जिला शिक्षा अधिकारियों (प्रारम्भिक शिक्षा स्तर के विद्यालयों के लिए जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक शिक्षा तथा माध्यमिक शिक्षा स्तर के विद्यालयों के लिए जिला शिक्षा अधिकारी, मा.शि) तथा संयुक्त निदेशक द्वारा की जाएगी। प्रवेश से संबंधित समस्त परिवेदनाओं का निस्तारण उक्त अधिकारी तत्काल करवाया जाना सुनिश्चित करेगे।

9. विद्यालय में रिपोर्टिंगः–

9.1. केन्द्रीकृत लॉटरी प्रक्रिया के पश्चात बालक को गैर सरकारी विद्यालय में वरियता क्रमांक प्राप्त होगें। इस वरियता क्रमांक के आधार पर बालक विद्यालय चयन क्रम में इच्छा अनुसार बदलाव कर सकता है। प्रथम चरण के आवंटन में बालक को विद्यालय आवंटन किया जायेगा। बालक के लॉगिन पर अलॉटेड प्रदर्शित होगा। आवंटित विद्यालय द्वारा बालक के दस्तावेजों की जांच की जायेगी। दस्तावेज सत्यापन पश्चात पात्र बालक/अभिभावक के लॉगिन पर प्रवेशित/एडमिडेट प्रदर्शित होगा। प्रवेशित विद्यालय में बालक का प्रवेश हो जाने के उपरान्त अभिभावक द्वारा हस्ताक्षरित आवेदन फार्म एवं समस्त दस्तावेजों की हार्ड कॉपी जमा करवाकर रिपोर्टिंग करनी होगी।

9.2. जिन बालकों का चयन किसी भी विद्यालय में निःशुल्क बालक के रूप में हो जाता है। वह बालक अब किसी भी अन्य विद्यालय में प्रवेश हेतु प्रदर्शित नहीं होगा।

9.3. प्रथम चरण के आवंटन के पश्चात होने वाले प्रवेश तात्कालिक वरीयता क्रम अनुसार होगें।

9.4. निःशुल्क प्रवेश निम्नानुसार वर्णित रोस्टर प्रक्रिया से होगा।

निःशुल्क प्रवेशित बालकों की केन्द्रीकृत लॉटरी द्वारा जारी वरीयता सूची एवं शेष 75 प्रतिशत सीट्सपर प्रविष्ट बालकों की सूची को निम्नांकित रोस्टर के आधार पर तैयार किया जायेगा :—

1.सामान्य प्रवेश	11.सामान्य प्रवेश	**21.निःशुल्क प्रवेश**	31.सामान्य प्रवेश
2. निःशुल्क प्रवेश	12.सामान्य प्रवेश	22.सामान्य प्रवेश	32.सामान्य प्रवेश
3.सामान्य प्रवेश	**13.निःशुल्क प्रवेश**	23.सामान्य प्रवेश	**33.निःशुल्क प्रवेश**
4.सामान्य प्रवेश	14.सामान्य प्रवेश	24.सामान्य प्रवेश	34.सामान्य प्रवेश
5. निःशुल्क प्रवेश	15.सामान्य प्रवेश	**25. निःशुल्क प्रवेश**	35.सामान्य प्रवेश
6.सामान्य प्रवेश	16.सामान्य प्रवेश	26.सामान्य प्रवेश	36.सामान्य प्रवेश
7.सामान्य प्रवेश	**17.निःशुल्क प्रवेश**	27.सामान्य प्रवेश	**37.निःशुल्क प्रवेश**
8.सामान्य प्रवेश	18.सामान्य प्रवेश	28.सामान्य प्रवेश	38.सामान्य प्रवेश
9.निःशुल्क प्रवेश	19.सामान्य प्रवेश	**29.निःशुल्क प्रवेश**	39.सामान्य प्रवेश
10.सामान्य प्रवेश	20.सामान्य प्रवेश	30.सामान्य प्रवेश	40.सामान्य प्रवेश
41 निःशुल्क प्रवेश			

कुल निःशुल्क प्रवेश—11 सामान्य प्रवेश — 30

- उपरोक्त रोस्टर एन्ट्री कक्षा के लिए 41 बालकों की संख्या के आधार पर निर्धारित किया गया है। संख्या अधिक होने पर यहीं प्रकिया निरन्तर जारी रहेगी।
- कम प्रवेश होने की स्थिति में जिस रोस्टर बिन्दु तक प्रवेश होंगे वहां तक निःशुल्क प्रवेशित एवं सामान्य प्रवेशित बालकों की संख्या का निर्धारण होगा। उदाहरणस्वरूप यदि किसी विद्यालय में 18 प्रवेश हो तो उनमें से 5 निःशुल्क प्रवेशित तथा 13 सामान्य प्रवेशित बालक होंगे।

09. यदि किसी विद्यालय में किसी एन्ट्री कक्षा में एक भी नॉनआरटीई प्रवेश नहीं होता है तो उस विद्यालय में आरटीई प्रवेश नहीं लिया जा सकेगा।

परिशिष्ट – 1(संदर्भित अध्याय–1)
आदेश/परिपत्रों का सारांश

- **विशेष आवश्यकता वाले बालकों का प्रवेशः–** विकलांगता से ग्रसित बालक–बालिकाओं को अधिनियम के प्रावधानानुसार अनिवार्यतः विद्यालय में प्रवेश दिया जाकर उनके लिए समुचित शैक्षणिक, वातावरण की उपलब्धता सुनिश्चित किये जाने संबंधी आदेश दि. 12.9.2011 को जारी किये गये।

- **विद्यालयों द्वारा बालकों से लिये जा रहे शुल्क के स्थान पर अनुदान/दान/चंदा/सहयोग के नाम से रसीदे काटना** :–25 प्रतिशत सीट्स पर प्रवेशित बालकों की फीस का पुनर्भरण राज्य सरकार द्वारा निर्धारित यूनिट कॉस्ट अथवा विद्यालय द्वारा बालकों से ली जाने वाली फीस, जो भी कम हो का किया जाता है। अतः यदि विद्यालयों द्वारा अभिभावकों/बालकों से अनुदान/दान/चंदा/सहयोग आदि लिये जा रहे है तो यह राशि पुनर्भरण के योग्य नहीं मानी जायेगी।

- **अभिभावकों द्वारा निःशुल्क प्रवेशित बालकों के विद्यालय परिवर्तन के सम्बन्ध में** :–यदि कोई अभिभावक स्वेच्छा से अपने बालक को एक विद्यालय से दूसरे विद्यालय में स्थानान्तरित करना चाहता है तो विद्यालय परिवर्तन होते ही वह बालक फीस के पुनर्भरण का पात्र नहीं माना जावेगा। (दि. 30.04.2013 को जारी दिशा निर्देश)

- **अभिभावकों से प्रतिवर्ष आय प्रमाण पत्र लिया जाना** :– निःशुल्क प्रवेश के लिए असुविधाग्रस्त समूह एवं कमजोर वर्ग में सम्मिलित किये गये बालकों की एक श्रेणी अभिभावकों की वार्षिक आय (वर्तमान में रूपये 2.50 लाख या कम) के आधार पर निर्धारित की हुई है। आय के आधार पर प्रवेशित बालकों के अभिभावकों से प्रतिवर्ष आय का प्रमाण पत्र लेना होगा तथा उस आय के आधार पर ही फीस के पुनर्भरण की पात्रता पर विचार किया जाएगा। यह प्रमाण पत्र बालक के प्रवेश दिये जाने वाले दिनांक के पूर्व के वित्तीय वर्ष (1 अप्रैल से 31 मार्च) की आय के संबंध में होगा। आय के आधार पर शैक्षिक सत्र 2026–27 में निःशुल्क सीट्स पर प्रवेश केवल उन्ही बालक/बालिकाओं का होगा जिनके अभिभावक की वार्षिक आय 2.50 लाख रूपये है। अतः इन बालक/बालिकाओं के लिए प्रतिवर्ष 2.50 लाख रूपये तक का वार्षिक आय का प्रमाण–पत्र वित्तीय सत्र 2025–26 हेतु लिया जायेगा।

परिशिष्ट –2 (संदर्भित अध्याय– 2 का पैरा–8)
प्रवेश प्रक्रिया को स्पष्ट करने के लिए उदाहरण

उदाहरण– 1: एक निजी विद्यालय ग्रामीण क्षेत्र में किसी ग्राम पंचायत मुख्यालय पर स्थित है। इस ग्राम पंचायत में 15 वार्ड हैं जिनमें से 6 वार्ड ग्राम पंचायत मुख्यालय के गांव से संबंधित है तथा शेष वार्ड अन्य छोटे गांवों और ढाणियों से संबंधित हैं। ऐसी स्थिति में चयन की प्रक्रिया निम्नप्रकार होगी :–

1. विद्यालय की एन्ट्री कक्षा में प्रवेश की क्षमता– 40
2. अधिनियम 2009 के अनुसार : 25 प्रतिशत सीट्स की संख्या– 10
3. ग्राम पंचायत परिक्षेत्र से प्राप्त आवेदन पत्र– 50 (अनाथ/दिव्यांग बालकों के आवेदन 05)
4. उपरोक्त आवेदन पत्रों में से स्कूल से संबंधित गांव से प्राप्त आवेदन– 30 (अनाथ/दिव्यांग बालकों के आवेदन 03)
5. ग्राम पंचायत के अन्य गांव/ढाणी से प्राप्त आवेदन– 20 (अनाथ/दिव्यांग बालकों के आवेदन 02)

उपरोक्त विवरण के आधार पर वरीयता सूची तैयार करने हेतु निकाली जाने वाली लॉटरी में ग्राम पंचायत परिक्षेत्र से प्राप्त सभी–50 आवेदन पत्र शामिल किये जाऐंगे जिनकी वरीयता सूची निम्नानुसार तैयार की जायेगी।

01. स्कूल से संबंधित गॅाव से प्राप्त अनाथ/दिव्यांग बालकों के आवेदनः– वरीयता क्रम 01 से 03
02. स्कूल से संबंधित गॅाव से प्राप्त शेष बालकों के आवेदनः– वरीयता क्रम 04 से 30
03. ग्राम पंचायत के अन्य गॅाव/ढाणी से प्राप्त अनाथ/दिव्याग बालकों के आवेदन वरीयता क्रम 31 से 32
04. ग्राम पंचायत के अन्य गॅाव/ढाणी से प्राप्त शेष बालकों बालकों के आवेदन वरीयता क्रम 33 से 50

उदाहरण– 2 : एक निजी विद्यालय शहरी क्षेत्र केवार्ड संख्या 17 में स्थित है। इस शहरी निकाय (नगर पालिका/नगर परिषद/नगर निगम) में कुल 45 वार्ड है, ऐसी स्थिति में चयन की प्रक्रिया निम्नप्रकार होगी :–

1. विद्यालय की एन्ट्री कक्षा में सीट्स की संख्या– 60
2. अधिनियम 2009 के अनुसार : 25 प्रतिशत सीट्सकी संख्या–15
3. शहरी निकाय परिक्षेत्र से प्राप्त आवेदन पत्र– 80 (अनाथ/दिव्यांग बालकों के आवेदन 10)
4. उपरोक्त आवेदन पत्रों में से विद्यालय से संबंधित वार्ड सं. 17 से प्राप्त आवेदन– 10 (अनाथ/दिव्यांग बालकों के आवेदन 02)
5. शहरी निकाय के अन्य 44 वार्डो से प्राप्त आवेदन– 70 (अनाथ/दिव्यांग बालकों के आवेदन 08)

उपरोक्त विवरण के आधार पर वरीयता सूची तैयार करने हेतु निकाली जाने वाली लॉटरी में शहरी निकाय से प्राप्त सभी–80 आवेदन पत्र शामिल किये जाऐंगे जिनकी वरीयता सूची निम्नानुसार तैयार की जायेगीः–

01. स्कूल से संबंधित वार्ड–17 से प्राप्त अनाथ/दिव्यांग बालकों के आवेदनः– वरीयता क्रम 01 से 02
02. स्कूल से संबंधित वार्ड–17 से प्राप्त शेष बालकों के आवेदनः– वरीयता क्रम 03 से 10
03. शहरी निकाय के अन्य 44 वार्डो से प्राप्त अनाथ/दिव्यांग बालकों के आवेदनः–वरीयता क्रम 11 से 18
04. शहरी निकाय के अन्य 44 वार्डो से प्राप्त शेष बालकों के आवेदनः–वरीयता क्रम 19 से 80

नोटः विद्यालय में निःशुल्क शिक्षा हेतु आरक्षित सीट्स पर प्रवेश के लिए पर्याप्त संख्या में दुर्बल वर्ग एवं असुविधाग्रस्त समूह के बालक पात्र नहीं पाये जाने की स्थिति में भी विद्यालय के कैचमेन्ट एरिया से बाहर के बालकों को इन सीट्स पर प्रवेश नहीं दिया जाएगा।

परिशिष्ट –4
सामान्यतया पूछे जाने वाले प्रश्न एवं उनके उत्तर

प्रश्न –1 यदि किसी कारणवश निःशुल्क प्रवेशित बालक शैक्षिक सत्र के बीच में विद्यालय छोड़ दे तो इसके पुनर्भरण का क्या होगा ?

उत्तर – गैर सरकारी विद्यालय की एन्ट्री लेवल कक्षा में प्रवेशित केवल उन्हीं छात्रों का पुनर्भरण होगा जो सत्र पर्यन्त अध्ययनरत रहा है। बालक द्वारा विद्यालय छोड़ने/टी.सी.लेकर अन्य विद्यालय में चले जाने/बिना टी.सी. लिये किसी अन्य विद्यालय में प्रवेश ले लेने/छात्र की मृत्यु हो जाने आदि कारणों से उस विद्यालय का विद्यार्थी नहीं रहा हो, तो ऐसे छात्र की फीस का पुनर्भरण सरकार द्वारा नहीं किया जायेगा यह सत्यापन दल सुनिश्चित करेगा। सत्यापन दल यह भी आकलन करेगा कि विद्यालय से ड्राप आउट बालकों की फीस के पुनर्भरण पेटे कितनी राशि विद्यालय को भुगतान की जा चुकी है। यदि निःशुल्क प्रवेशित बालक सत्रारम्भ से 31 अगस्त के मध्य कभी भी उपरोक्त वर्णित कारणों से ड्राप आउट हुआ है तो विद्यालय को उस बालक के सम्बन्ध में प्रथम किश्त का तो पुनर्भरण होगा परन्तु द्वितीय किश्त का पुनर्भरण नहीं होगा।

प्रश्न –2 निजी स्कूलों के भवन सुरक्षा प्रमाण पत्र हेतु राज्य सरकार से क्या निर्देश है ?

उत्तर – बच्चों की सुरक्षा की दृष्टि से सुरक्षित स्कूल भवन होना आवश्यक है। अतः यह आवश्यक है कि जो निजी शैक्षिक भवन 50 वर्ष तक पुराने है, उनके संबंध में प्रत्येक 3 साल में एक बार P.W.D. अथवा अन्य राजकीय उपक्रम/हाउसिंग बोर्ड/स्थानीय निकाय के सहायक अभियन्ता से भवन सुरक्षा प्रमाण पत्र आवश्यक रूप से लिया जावे।

प्रश्न –3 यदि कोई विद्यालय पूर्णतः बाहरी अनुदान से संचालित होता है तथा किसी भी बच्चे से कोई शुल्क नहीं लिया जाता है। क्या उस विद्यालय को आरटीई के अन्तर्गत 25 प्रतिशत सीट्स पर निःशुल्क प्रवेश देने हैं ?

उत्तर – ऐसे विद्यालयों को भी 25 प्रतिशत सीट्स पर ''दुर्बलवर्ग'' व ''असुविधाग्रस्त समूह'' के बालकों के लिए राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्रक्रिया से बालकों को निःशुल्क प्रवेश देने है, लेकिन इन विद्यालयों को फीस का पुनर्भरण देय नहीं होगा।

प्रश्न –4 यह कैसे स्पष्ट हो कि कोई विद्यालय अल्पसंख्यक विद्यालय की श्रेणी में आता है तथा वह आरटीई के अन्तर्गत निःशुल्क प्रवेश के दायरे से बाहर है ?

उत्तर – राजस्थान सरकार के अल्पसंख्यक मामलात विभाग एवं केन्द्र सरकार के अल्पसंख्यक मामलात विभाग द्वारा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 29/30 के अन्तर्गत अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थाऐं घोषित की जाती है। अतः इन विभागों द्वारा जारी प्रमाण पत्र के आधार पर ही विद्यालय को अल्पसंख्यक की श्रेणी में माना जायेगा।

प्रश्न –5 क्या विद्यालय में निःशुल्क सीट्स पर अध्ययनरत विद्यार्थी द्वारा पुनः आवेदन किया जा सकता है?

उत्तर – विद्यालय में निःशुल्क सीट्स पर अध्ययनरत विद्यार्थी द्वारा पुनः आवेदन नहीं किया जा सकेगा। इस हेतु आवेदन करते समय आधार नम्बर या आधार पंजीयन नम्बर की एन्ट्री करनी अनिवार्य होगी।

परिशिष्ट –5

वार्ड परीसीमन के कारण वार्ड परिवर्तित होने की स्थिति में संबंधित सरपंच/वार्ड पंच/पार्षद/बीएलओ एवं राजपत्रित अधिकारी द्वारा दिये जाने वाले प्रमाण पत्र का प्रारूप

प्रमाणित किया जाता है कि आवेदनकर्ता बालक का नाम ....पुत्र/पुत्री श्री .... आवेदनकर्ता का निवास स्थान .... गांव/वार्ड संख्या .... वर्तमान में पूर्ण रूप से सत्य है। वार्ड परीसीमन से पूर्व इस निवास स्थान का गांव/वार्ड संख्या .... था। इसमें किसी भी तथ्य को छुपाया/घटाया या बढाया नहीं गया है।

हस्ताक्षर	हस्ताक्षर
संबंधित सरपंच/वार्ड पंच/पार्षद/बीएलओ	राजपत्रित अधिकारी
नाम	नाम ....
पद..	पद..
मोहर	मोहर ....